

श्री. सुरेन्द्र सरावरी अग्रवाल,
विशेषाधीन, उत्तर प्रदेश शासन,

प्रमदा अभियन्ता
सौध्यात्मिक निर्माण विभाग
उत्तर प्रदेश शासन

सार्वजनिक निर्माण अनुभाग-5

दिनांक: 21-अप्रैल, 1989

विषय: सार्वजनिक निर्माण विभाग में परिकल्प, शोध, अनुसंधान, नियोजन, अन्वेषण सर्वेक्षण एवं प्रशिक्षण से सम्बन्धित पदों पर कार्यरत अभियन्त्रण कार्मिकों को अतिरिक्त सुविधाएं दिया जाना।

महोदय,
आपके उपरोक्त विषयक अधिसूचना संख्या-59 ईसी/15 ईए/87 दिनांक 21-1-1989 के तहत में मुझे यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय सार्वजनिक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त परिकल्प, शोध अनुसंधान, नियोजन, अन्वेषण, सर्वेक्षण एवं प्रशिक्षण से सम्बन्धित शाखाओं/पदों, जिनका विवरण इस शासनोदेश संलग्नक-एक में दिया गया है, में कार्यरत अभियन्त्रण कार्मिकों को निम्नलिखित विशेषाधिकार, भत्ते एवं सुविधाएं स्वीकृत करने की सहर्ष स्वीकृति इस प्रतिबंध के अधीन प्रदान करते हैं कि उक्त कार्यों के लिए पूर्व में स्वीकृत विशेषा वेतन, परिकल्पना भत्ता तथा वाहन भत्ता क्रमशः डिजाइन विशेषा वेतन तथा वाहन भत्ता में समायोजित करा लिया जायगा।

डिजाइन विशेषा वेतन :

क्र.सं.	पदनाम	रुपये
क।	अधीक्षक अभियन्ता	300/= रु प्रतिमाह 120 तीन सौ मात्र प्रतिमाह।
ख।	अधीक्षक अभियन्ता	250/= प्रतिमाह 100 दो सौ मात्र प्रतिमाह।
ग।	सहायक अभियन्ता	200/= प्रतिमाह 100 दो सौ मात्र प्रतिमाह।
घ।	अवर अभियन्ता	100/= प्रतिमाह 1 रुपये एक सौ मात्र प्रतिमाह।
2।	आवासीय सुविधा :	

वेतन, विशेषा वेतन तथा वैयक्तिक वेतन यदि कोई हो, की कुल धारणाओं के तहत प्रतिमाह पर आवासीय सुविधा उपलब्ध करायी जायगी। जब तक किराये के सरकारी आवास आर्ध-विकसित तथा उपलब्ध नहीं हो जाते हैं तब तक मकान किराया भत्ता उनकी दरों पर अनुमन्य होगा जिन दरों पर निःशुल्क आवासीय सुविधा वाले अधिकारियों को अनुमन्य है।

सहायक प्रतिपूर्ति भत्ता

जिन अधिकारियों को अर्दली/चपराती नहीं मिले है या जिनके अर्दली वापस पर जाय उन्हें सहायक प्रतिपूर्ति भत्ता रुपये 200/= (दो सौ मात्र) प्रतिमाह सहायक अभियन्ता से लेकर अधीक्षक अभियन्ता को और 100/= (एक सौ मात्र) प्रतिमाह अवर अभियन्ताओं को देय होगा।

1.5
upload via
Date 27.01.1088

वाहन भाता

पदनाम

रायचे

अभ्युक्ति

अवर अभियन्ता एवं
राज्य अभियन्ता

100/= प्रतिमाह
150 एक सौ मात्र प्रतिमाह

अपनी निजी कार/गी
मोटर साइकिल के रखा
रखाव हेतु ।

आध्यात्मिक अभियन्ता
एवं अधीक्षण अभियन्ता

150/= प्रतिमाह
150 एक सौ पचास मात्र
प्रतिमाह

अपनी निजी कार/गी
खरदारखाव हेतु

उपर्युक्त वाहन भाता वित्तीय नियम संग्रह सीण्ड -3 के नियम -82 के अन्तर्गत लिखित कर्मचारियों/ अधिकारियों को अपने निजी वाहनो को संतोषजनक और वाहू में रखाने और मुख्यालय पर सरकारी कार्यवाया यात्राओं में उन्हीं का उपयोग करने हेतु किया होगा तथा यदि उन्हें सरकारी वाहन उपलब्ध/ आवंटित होंगे तो वाहन भाता सुविधा अनुमन्य नहीं होगी ।

वर्तमान में वाहन भाता मुख्यालय पर अन्य दूरी की उन यात्राओं के लिए अनुमन्य किया है, जिनके लिए सरकारी वाहनो को शासकीय वाहन उपलब्ध न कराया गया हो या यात्राओं के लिए अन्य किसी रूप में व्यय की प्रतिपूर्ति न हुई हो। सम्भव है कि सम्बन्धित अभियन्ताओं, सहायक अभियन्ताओं, आध्यात्मिक अभियन्ताओं और अधीक्षण अभियन्ताओं ने मुख्यालय पर की गयी यात्राओं में सरकारी वाहनो का उपयोग किया हो कि वाहन व्यय प्राप्त किया हो इस स्थिति में यदि किसी कार्मिक द्वारा दिनांक 3.87 से सरकारी वाहन का उपयोग किया गया हो अथवा उसको वाहन भाता की मदद से भुगतान किया गया हो तो जैसी भी स्थिति हो उसका समाधान इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत उपर्युक्त वाहन भाता से कर लिया जायगा ।

उपर्युक्त प्रसंग में उल्लिखित डिजाइन विशेष वेतन, मकान किराया भाता, हायक प्रतिपूर्ति भाता तथा वाहन भाता की स्वीकृति निम्नांकित शर्तों तथा प्रतिशतों के अधीन होगी :-

1। जिन शाखाओं / पदों/ अधीक्षण पदों/ डाण्डों एवं अन्य संगठनों, जिनका वितरण सैनिक - एक में दिया गया है । के लिए विशेष वेतन, भाता तथा सुविधाएं स्वीकृत किया रहें है, उन पर/ उनमें कार्यरत अभियन्त्रण अधिकारी तथा अवर अभियन्ता की उसी शर्तों को यह अनुमन्य होगी, जो कि इस आदेश को जारी करने के दिनांक को स्वीकृत है।

2। इस शासनादेश संश्लेष के तालमन एक में सम्मिलित शाखाओं/ पदों/ अधीक्षण पदों/ डाण्डों एवं अन्य संगठनों के अतिरिक्त किसी अन्य को प्रसंगत विशेष वेतन/ भाता सुविधाएं तब तक अनुमन्य नहीं होगी, जब तक कि शासकीय आदेश द्वारा प्राधिकृत न किया जाय।

3। इस शासनादेश के तालमन एक में सम्मिलित शाखाओं/ पदों/ अधीक्षण पदों/ डाण्डों एवं अन्य संगठनों पर तैनात किसी अभियन्त्रण अधिकारी तथा अवर अभियन्ता के प्रसंगत विशेष वेतन/ भाता/ सुविधाएं तभी तक ही अनुमन्य होगी, जब तक कि वे परिष्कार, शोध, अनुसंधान, नियोजन, अन्वेषण, सर्वेक्षण-संश्लेष, अधीक्षण कार्य में रत रहेंगे । यदि किसी समय या अवधि में, उन्हें, इन कार्यों के अभाव में अन्य कार्य सौंपा जाता है, तो विशेष वेतन/ भाता/ सुविधाएं उस अवधि के लिए अनुमन्य नहीं रह जायगी जब तक कि अन्य कार्य भी निष्पादित किया जाता रहेगा ।

